लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.ir

पत्रांक: BRLPS/LSBA/Proj/18/17/818 दिनांक: 04/11/2019

प्रेषक,

बालामुरूगन डी॰, भा॰प्र॰से॰,
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार।

विषय- **लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत शत्-प्रतिशत स्वच्छता आच्छादन हेतु सभी ग्रामों के महादलित/दलित बहुल्य बसावटों/टोलों में आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) के निर्माण संबंधी सतत् अनुश्रवण एवं निर्मित परिसर के समुचित रख-रखाव और उपयोग के संबंध में।**

प्रसंग- **इस कार्यालय का पत्रांक BRLPS/LSBA/Proj/18/17/728 दिनांक 01.10.2019 एवं** ग्रामीण विकास विभाग का पत्रांक 324641/29.08.2017

महाशय/महाशया,

उपर्युक्त प्रसांगाधीन विषय के संबंध में आपको अवगत कराना है कि जिला को खुले में शौच से मुक्त बनाए रखने के लिए उपयुक्त स्थलों (यथा-अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में/भूमिहीन परिवारों एवं विशिष्ट कोटि के भौगोलिक क्षेत्रों में) पर सामुदायिक शौचालय की उपलब्धता, समुदाय द्वारा इसका सतत् उपयोग एवं समुचित रख-रखाव आवश्यक है।

विदित है कि प्रासंगिक पत्र (ग्रामीण विकास विभाग का पत्रांक 324641/29.08.2017 एवं पत्रांक BRLPS/LSBA/Proj/18/17/728 दिनांक 01.10.2019) के आलोक में सम्पूर्ण स्वच्छता आच्छादन के स्थायित्व हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो-दो सामुदायिक स्वच्छता परिसर (Community Sanitary Complex) का निर्माण लक्षित है। इस संबंध में आवश्यक निर्देश विभागीय पत्रांक 440943 दिनांक 17.09.2019 एवं अपर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक S/18020/91/2016 SBM दिनांक 31.07.2019 द्वारा दिया जा चुका है।

निदेशित किया जाता है कि सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) निर्माण हेतु स्थल चयन, भूमि उपलब्धता एवं क्रियान्वयन एजेंसी का चयन, कार्य प्रारम्भ संबंधित सूचना विहित प्रपत्र (संलग्न) में राज्य कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें एवं कार्य प्रगति हेतु जिला स्तर पर

साप्ताहिक समीक्षा कर सतत् रूप से अनुश्रवण किया जाए ताकि मिशन मोड में सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) के निर्माण को 31.12.2019 तक सम्पादित करते हुए अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त की जा सके।

सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) के निर्माण के उपरांत यह आवश्यक है कि समुदाय द्वारा उसका सतत् उपयोग एवं समुचित रख-रखाव किया जाए। समुदायों में CSC के रख-रखाव के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करने के लिए IEC/IPC गतिविधियां यथा- सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) की दिवार पर संदेशयुक्त दिवाल लेखन/चित्रण, सौन्दर्यीकरण आदि कराया जा सकता है।

समुदाय की भागीदारी एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) के रख-रखाव का उत्तरदायित्व वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति/ग्राम पंचायत/ जीविका संपोषित समुदाय आधारित संगठन को सौंपा जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि लक्षित समय में सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) निर्माण सम्पादित कराया जाए एवं इसके समुचित रख-रखाव तथा सतत् उपयोग हेतु समुदाय को उत्प्रेरित कराया जाए। ससमय लक्ष्य प्राप्ति हेतु जिला स्तर पर प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा एवं सतत् अनुश्रवण किया जाए।

विश्वासभाजन

अनुलग्नकः यथोक्त।

04/11/19

(बालामुरूगन डी०)

ज्ञापांकः BRLPS/LSBA/PROJ/16/17/818 **दिनांकः** 04/11/2019

प्रतिलिपि : सभी जिला परियोजना प्रबंधक,जीविका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
सभी निदेशक-सह-सदस्य सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सभी उपविकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष , जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि : सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

04/11/19

(बालामुरूगन डी०)

अनुलग्नक

Community Sanitary Complex (CSC) निर्माण हेतु स्थल सूचना, भूमि उपलब्धता एवं क्रियान्वयन एजेन्सी (PIA) के चयन से संबंधित सूचना संबंधी प्रपत्र

क्र० सं०	जिला का नाम	Community Sanitary Complex (CSC) हेतु चयनित स्थल/ग्राम/ कलस्टर की संख्या	CSC की संख्या (जहाँ भूमि चिन्हित/उपलब्ध करायी गयी है।)	CSC की संख्या जहाँ PIA (क्रियान्वयन एजेन्सी - BDO/other Agency) चयनित हैं एवं आदेश निर्गत हैं।	स्थलों की संख्या जहाँ CSC निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है।	पूर्ण CSC की संख्या	CSC पर व्यय की गयी राशि